पत्रांक-3ए-2(वे०पु०)-01/2010- **5972** /वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:-07/08/2018

विषय:- राज्य के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन असंगति के मामलों पर विचार हेतु वेतन विसंगति निराकरण समिति के गठन के सम्बन्ध में।

बिहार राज्य के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन विसंगति के मामले पर विचार करने हेतु वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3549, दिनांक-26/04/2011 द्वारा श्री विजय प्रकाश (भा०प्र०से०), प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग के अध्यक्षता में वेतन विसंगति निराकरण समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति को पुन: संकल्प संख्या-1553, दिनांक-14/02/2014, संकल्प संख्या-6513, दिनांक-22/07/2017 तथा संकल्प संख्या-2054, दिनांक-02/03/2015 के द्वारा पुनर्गठित किया गया। समिति के अध्यक्ष श्री विजय प्रकाश (भा०प्र०से०) के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण समिति द्वारा अनुशंसा प्रतिवेदन राज्य सरकार को नहीं सौंपी जा सकी है।

2. वर्त्तमान में, बिहार राज्य के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन विसंगति के निराकरण सम्बन्धी मामले लंबित है। अत: उक्त हेतु नये सिरे से विसंगति निराकरण समिति का गठन किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

3. अत: सम्यक विचारोपरान्त राज्य के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमानों में हुए वेतन विसंगति के मामलों पर विचार करने हेतु निम्नरूप से विसंगति निराकरण समिति का गठन किया जाता है:-

(i) **श्री सुनील कुमार सिंह,**
अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद - अध्यक्ष

(ii) **श्री रॉबर्ट एल० चोंगथू,**
सचिव, शिक्षा विभाग। - सदस्य सचिव

(iii) **श्री शिव शंकर मिश्र,**
संयुक्त सचिव, वित्त विभाग। - सदस्य

(क) उपर्युक्त पदाधिकारी अपने कर्त्तव्यों के अतिरिक्त समिति का भी कार्य करेंगे। इस समिति के लिए सचिवालयीन सहायता निधि आदि की व्यवस्था वित्त विभाग द्वारा की जाएगी।

(ख) पुनरीक्षित वेतनमानों में हुए विसंगतियों के निराकरण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की अनुशंसा के आलोक में समिति अनुशंसा करेगी।

(ग) अपनी अनुशंसाओं को गठित करने के लिए समिति अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगी और इसके लिए आवश्यक सूचना एकत्र करेगी।

(घ) समिति की अनुशंसा पर विचारोपरान्त सरकार द्वारा समुचित निर्णय लिया जा सकेगा।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार ई-गजट के असाधारण अंक में किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/-
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-2(वे०पु०)-01/2010 -**5972/वि०** पटना, दिनांक-**07/08/2018**

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं हक०) का कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-2(वे०पु०)-01/2010 -**5972/वि०** पटना, दिनांक-**07/08/2018**

प्रतिलिपि- समिति के अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव/ सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्, बिहार / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सिस्टम एनालिस्ट (वित्त विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु) / प्रभारी ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

3A\Teacher Committee\anil